

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी - मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 81/2020 - वाद

दायर दिनांक - 02/12/2020

निर्णय दिनांक - 16/09/2022

अनवान

1. बंशीलाल पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. गोपीलाल पिता कालु जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
2. भंवरलाल पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
3. बहुराम पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
4. मांगीबाई पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
5. जानकीलाल पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
6. सुन्दरबाई पत्नि लेहरूलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
7. सुरेशचन्द्र पिता लेहरूलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
8. भक्ती पिता सुरेश जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
9. सोनू पिता जानकीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से :- मुरलीधर दशोरा, अधिवक्ता,

प्रतिवादी की ओर से :- -

दिनांक :- 16/09/2022



सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

- : निर्णय :-

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 01 गोपीलाल पुत्र कालु जाति लौहार निवासी माउ के ग्राम माउ में कृषि भूमि पटवार हल्का गोगाथला में वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 143 में स्थित आराजी संख्या 132, 152, 156 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9956 हैक्टेयर स्थित है। उक्त खाता संख्या 143 में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित वर्तमान प्रति साथ संलग्न है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 गोपीलाल पिता कालु जाति लौहार को अपने पिता कालू पिता श्रीराम से विरासत में प्राप्त हुई थी। प्रमाण में नकल जमाबंदी, सेटलमेन्ट की प्रति साथ संलग्न है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की स्व अर्जित सम्पत्ति नहीं होकर उसे अपने पिता कालू पिता श्रीराम से विरासत में प्राप्त हुई जिस कारण प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त सम्पूर्ण भूमि को खुर्द-बुर्द करने का अथवा किसी को रहन, बह, बक्षीश करने का अधिकार अपने हिस्से से ज्यादा करने का नहीं है। उसके उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त भूमि में अपने नाम पर दर्ज सम्पूर्ण पैतृक जमीन को प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 04 एवं प्रतिवादी संख्या 05 के पुत्र प्रतिवादी संख्या 09 एवं प्रतिवादी संख्या 07 के पुत्र भक्ती जो प्रतिवादी संख्या 08 है को विधि विरुद्ध अपने हिस्से से अधिक भूमि का दानपत्र निष्पादित करवा दिया। जिसे वादी को मुखालते में रखकर किया है। जो प्रारंभ से ही शून्य एबीनिशिया बोर्ड है। क्योंकि वादपत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि मौरूसी जायदाद होने एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04, 05 का प्रत्येक का 1/7 -1/7 एवं हिन्दु



सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
जयपुर

उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से ही प्राप्त है एवं प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का भी संयुक्त रूपेण 1/7 हिस्सा है एवं उक्त 1/7 हिस्से की घोषणा कराये जाने हेतु वादी का यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी 01 द्वारा जो दानपत्र विधि विरुद्ध एवं अपने हिस्से से अधिक उपरोक्त पैतृक भूमियों के संबंध में निष्पादित किए है वे शून्य व प्रभावहीन होने से वादी अपने हिस्से की घोषणा कराने हेतु यह वादपत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वादी को वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा वादपत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित हिस्से अनुसार घोषणा किये जाने के पश्चात् वादी को प्राप्त होने वाले हिस्से में प्रतिवादी वादीगण को कोई वादी के उपयोग-उपभोग में कब्जे काशत में बाधा, दखलन्दाजी कारित नहीं करे इस बाबत उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जाना आवश्यक है इस हेतु भी उक्त वादपत्र पेश है। प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को मुखालते में रख उसे नुकसान देने की गरज से बाला बाला कानून के विपरित अपने हिस्से से अधिक भूमि का अन्तरण एक शून्य दस्तावेज के रूप में दानपत्र दिनांक 26/06/2022 को निष्पादित कराया जिसकी जानकारी वादी को प्राप्त होते ही आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अविलम्ब उक्त वादपत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 व प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के पक्ष में अपने हिस्से से अधिक दानपत्र निष्पादित कराया है जो वादी के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है। उक्त शून्य दस्तावेज निष्पादित करने के कारण ही उक्त वाद वादी द्वारा घोषणा का प्रस्तुत किया जा रहा है तथा ऐसे शून्य दस्तावेज के अस्तित्व में रहने से वादी को क्षति होने की प्रबल संभावना है जिससे उक्त दस्तावेज को शून्य व प्रभावहीन घोषित करते हुये वादी अपने 1/7 हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उसके हिस्से की



सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

जमीन पुनः उसके नाम कराने हेतु आज से एक माह पूर्व कहां तो उन्होंने मना कर दिया जिससे वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादी का 1/7 हिस्सा घोषित कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावें तथा दिनांक 26/06/2020 को निष्पादित दानपत्र वादी के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य व प्रभावहीन मानते हुये उक्त अनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावें। घोषणा पश्चात् वादी को प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण उसके उपयोग उपभाग में कोई बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करे इस बाबत् उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। अन्य समूचित सहायता जो वादी प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रदान कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू-01 बंशीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-01, सेटलमेन्ट की जमाबन्दी संवत् 2029 से 2030 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-02, दानपत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श-03 से लगायत 05 के प्रस्तुत किये गये।

अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादी



4
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

द्वारा प्रस्तुत सेटलमेन्ट की जमाबन्दी संवत् 2029 से 2030 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-02 में वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वज कालु पिता हरिराम लौहार के नाम दर्ज होना पाया गया जिससे वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति होना जाहिर आया है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मौरूसी सम्पत्ति में समस्त विधिक वारिसान का समान हक अधिकार निहित कर रखा है। ऐसी स्थिति में वादी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना वादपत्र सिद्ध करने में सफल रहा है।

अतः वादी का आंशिक रूप से वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार का किया जाकर ग्राम माउ में कृषि भूमि पटवार हल्का गोगाथला स्थित आराजी संख्या 132, 152, 156 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9956 हैक्टेयर भूमि में से वादी को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे बाकि बदस्तुर रहे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/09/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



4

(मनसुख राम डामोर)
सहायक क्लर्क
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :- मनसुख राम डामोर आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :- 81/2020

अनवान

1. बंशीलाल पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. गोपीलाल पिता कालु जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
2. भंवरलाल पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
3. बालुराम पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
4. मांगीबाई पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
5. जानकीलाल पिता गोपीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
6. सुन्दरबाई पत्नि लेहरूलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
7. सुरेशचन्द्र पिता लेहरूलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
8. भक्ती पिता सुरेश जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
9. सोनू पिता जानकीलाल जाति लौहार निवासी खण्डेल तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दावा :- वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ.

वादी की ओर से :- श्री मुरलीधर दशोरा, अधिवक्ता,

प्रतिवादी की ओर से :-




११
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

में इस आशय में दिनांक 16/09/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का आंशिक रूप से वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार का किया जाकर ग्राम माउ में कृषि भूमि पटवार हल्का गोगाथला स्थित आराजी संख्या 132, 152, 156 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9956 हैक्टेयर भूमि में से वादी को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे बाकि बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 16/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।




(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा